खण्ड-313, अंक-1
मंगलवार, 29 माघ, शक संवत् 1896
(18 फरवरी, 1975 ई0)

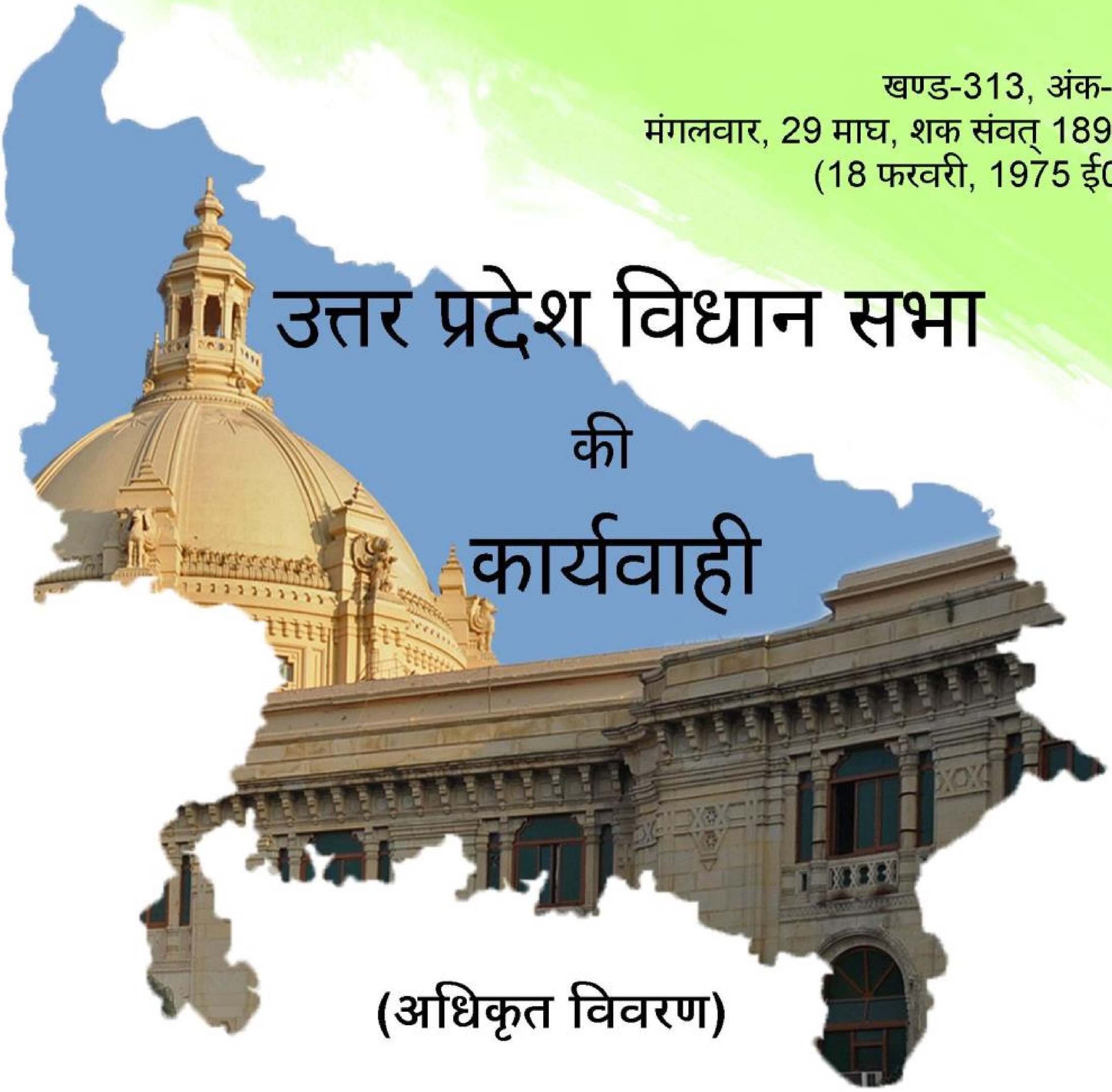

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 313 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	12
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1974 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	12
उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	12
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	12–15
नत्थियां	16–24

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 18 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 4.30 बजे सायंकाल अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—377

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री

गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहदुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर अजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री

विधान सभा सदस्य परिचय पुस्तिका

धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण, सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुराजसिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराजसिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजयसिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चरनशाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री

राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक ,श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीचन्द, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहुद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण,

राज्यपाल का पद सम्भालने के बाद पहली बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश के माननीय विधायकों को संबोधित करने का मुझको जो यह मौका मिल रहा है, उसके लिये मुझे बहुत हर्ष है .....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(आपस में बातचीत और बोलने की आवाजें)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, हमको इसकी प्रति नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—

"मैंने आपके सामने सरकार के प्रोग्रामों और नीतियों को संक्षेप में बयान किया है। आने वाला समय हम सभी के लिये चुनौती का समय है। जनतंत्र में विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा ही राज्य आगे बढ़ता है। माननीय सदस्यगण, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके वाद-विवाद रचनात्मक और लाभदायक होंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होंगे।

"जय हिन्द"

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये देखिये तख्ती 'क' आगे पृष्ठ 16 पर)

भूतपूर्व सदस्य, श्री शिवमंगल सिंह कपूर, श्री जगन्नाथ बख्श दास, श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय तथा श्री बुलाकी राम के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मुझे बड़े भारी हृदय और दुख पूर्ण हृदय से इस माननीय सदन के सामने सरदार शिव मंगल सिंह कपूर, भूतपूर्व विधायक और 1916 के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के निधन के संबंध में शोक-प्रस्ताव करने के लिये खड़ा होना पड़ा। शिव मंगल सिंह जी कपूर का जीवन, अंग्रेजी साम्राज्यवादी लड़ाई लड़ते हुये कांग्रेस संस्था के विभिन्न पदों पर रहकर त्याग और बलिदान करने की एक लम्बी कहानी है। 1932 की यूनिटी कांग्रेस, जो

इलाहाबाद में हुयी थी, वह राष्ट्रीय सिक्ख प्रतिनिधि बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुये थे। उनको स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में बराबर लम्बी जेल यात्रायें सहनी पड़ीं। पारिवारिक कष्टों से उलझे रहने पर भी वह कभी देश सेवा के व्रत से हटे नहीं। श्री शिव मंगल सिंह कपूर जी का इस माननीय विधान सभा के सदस्य के रूप में और इसकी उप-समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य सराहनीय रहा। उनमें धर्म निरपेक्षता कूट कूट–कर भरी थी। 'सारे धर्म समान' इस बुनियादी विचार को अपने जीवन भर उन्होंने अंगीकार किया और एक माने में उनका साकार स्वरूप बराबर अपने कार्यों के द्वारा वह उपस्थित करते रहे। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जेलों, आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद में विशेषतौर पर और उत्तर प्रदेश में आमतौर पर जिसने उनके साथ काम किया है, एक पारिवारिक संबंध उनसे बना है। उनके निधन से हमारे प्रदेश की एक बड़ी भारी क्षति हुयी है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिये इस सदन की प्रार्थना कराते हुये उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से और इस माननीय सदन की ओर से, हमारी सहानुभूति और संवेदना का समाचार भेज दें।

मान्यवर, इसी प्रकार माननीय महन्त जगन्नाथ बख्श दास हमारे पड़ोसी जिले बाराबंकी के स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी और राजनीतिक जीवन के एक बड़े खम्भ थे। जिला बोर्ड के गठन के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने इसकी बराबर अध्यक्षता की, और इधर भी जो जिला परिषद् का चुनाव हुआ था उसमें भी वह जिला परिषद् के अध्यक्ष चुने गये थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बराबर वे सदस्य रहे। स्वराज्य संग्राम में बराबर के हिस्सेदार रहे। इस महान विभूति के निधन से बाराबंकी जिले का राजनैतिक जीवन कुछ कमजोर और कुछ गरीब हुआ है। मेरी आशा है कि उनके बताये हुये रास्ते पर और त्याग, तपस्या के उस जीवन से और बलिदान से लोग बराबर उत्साहवर्धन पाते रहेंगे। उनका निधन बाराबंकी से दूर उस स्थान पर हुआ जहां वे अपने दल के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। इस प्रकार संगठन में जीवन और उसके साथ-साथ मृत्यु यह उनके विशेष कीर्तिमान हैं। स्वयं अपने जीवन को समर्पण कर उन्होंने जो इस प्रदेश और बाराबंकी की सेवा की है हम उसके लिये हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। उनके संबंध में मान्यवर, मैं यही कहूंगा कि इस माननीय सदन की सदस्यता के नाते उन्होंने हर मान्यता को और इस सदन की गरिमा को बराबर उठाने की चेष्टा की।

एक और माननीय सदस्य गणेश प्रसाद पांडेय, जो गोरखपुर निवासी थे जिनका जीवन भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा है। उनकी उम्र काफी थी लेकिन वर्षों पहले फालिज ने उन पर आक्रमण किया और तब से जीवन और मृत्यु के बीच में झूलते रहे। अतन्तोगत्वा हाल में वे इस संसार से चले गये। उनका जीवन जांति-पांति और छूआ छूत से ऊपर एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। उनके निधन से हमारा सारा जीवन दुर्बल हुआ है, उसकी क्षति हुई है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उस क्षति को पूरा कर गोरखपुर जिले को और इस प्रदेश को शक्ति प्रदान करे।

मान्यवर, एक और इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य बुलाकी राम जी, जो कि काफी पढ़े-लिखे हरिजन नवयुवक थे और पहले संसद के सदस्य भी रह चुके थे इस माननीय सदन

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

की सेवा उन्होंने की। हृदय गति रुकने से उनका देहान्त हो गया। हरदोई के रहने वाले थे। और जिन्होंने उनसे सम्पर्क किया होगा उन्होंने देखा होगा कि उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा मैत्री भाव प्रकट करता था।

इन सभी माननीय सदस्यों की मृत्यु से जो प्रदेश को हानि हुई है उसका राष्ट्रीय जीवन में पूरा करना आसान नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सभी माननीय सदस्यों के शोक संतप्त परिवार को मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से और माननीय सदन की ओर से सहानुभूति और सम्वेदना भेज दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिव मंगल सिंह कपूर, वाराणसी; माननीय श्री जगन्नाथ बख्श सिंह, बाराबंकी; श्री गणेश प्रसाद पांडेय, गोरखपुर और श्री बुलाकी राम, हरदोई का निधन हो गया है। इन सज्जनों के साथ मुझको भी सदन में काम करने का मौका मिला है। ये शायद चारों के चारों एक से अधिक बार इस सदन के सदस्य रह चुके थे और अब अरसे से सिवाय महन्त जी को छोड़कर क्रियाशील जन सेवा के क्षेत्र से रिटायर हो गये थे। उन्होंने अपने जमाने में अंगरेजों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता का संग्राम था उसमें भाग लिया और इस तरह देश की सेवा में एक बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का था। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी या नेता सदन ने फरमाया है, उनके जाने से सार्वजनिक क्षेत्र को एक बड़ी हानि हुई है। मैं, जो कुछ उन्होंने इस सिलसिले में कहा है, उस सबसे पूर्णतः अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय लोक दल ओर मेरी और से संतप्त परिवारों को संवेदना भेजने की कृपा करेंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय सरदार शिवमंगल सिंह, स्वर्गीय महन्त जगन्नाथ बख्श सिंह, स्वर्गीय गणेश प्रसाद पांडे और स्वर्गीय बुलाकी राम जी के बारे में भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन सबके निधन से सार्वजनिक जीवन को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की संवेदना संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन आत्माओं को शांति दे।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, स्व0 सरदार शिव मंगल सिंह, स्व0 श्री महन्त जगन्नाथ बख्श सिंह, स्व0 श्री गणेश प्रसाद पांडेय और स्व0 श्री बुलाकी राम के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन है कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से संतप्त परिवारों तक हमारी सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री नियाज हुसैन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस दरमियान में हमारे चार पुराने साथी हमारे बीच से उठ गये। यह बहुत अफसोसनाक बात है। शिव मंगल कपूर, बनारस, महन्त जगन्नाथबख्श, बाराबंकी, गणेश प्रसाद पांडेय, गोरखपुर, बुलाकी राम जी, हरदोई—जाहिर है ये सभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने-अपने हल्के में, अपने-अपने जिले में और प्रान्त में अपना-अपना स्थान रखते थे और उनकी कमी नई आने वाली पीढ़ी मुश्किल से पूरी कर सकती है। महन्त जगन्नाथ बख्श जी का आखिरी सफर दुर्भाग्य से मेरे साथ हुआ था। हम और वह जलगांव साथ जा रहे थे। यह मालूम नहीं था कि वह ऐसे स्थान पर जहां कि हमारा अधिवेशन होने जा रहा था हमारे बीच से उठ जायेंगे। इसको कहते हैं कि मैदान में पहुंचकर वह हमारा साथ छोड़ गये। आखिरी जिन्दगी भी उन्होंने अपने दल और देश की सेवा में लगायी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने स्व0 सरदार शिवमंगल सिंह, महन्त जगन्नाथ दास बख्श, श्री गणेश प्रसाद पांडेय और बुलाकीराम के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल सोशलिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन महान् आत्माओं के उठ जाने से इस प्रदेश की निधि में बहुत बड़ी क्षति हुई है।

मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारा शोक-संदेश भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने स्वर्गीय शिव मंगल सिंह जी कपूर, स्वर्गीय श्री महन्त जगन्नाथ बख्श दास, स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद पांडेय और स्वर्गीय श्री बुलाकी राम जी के प्रति जो सम्वेदना प्रकट की है और जो भावोद्गार यहां प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। ये माननीय सदस्य इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में उनके उठ जाने से निश्चय ही रिक्तता आई है और हम सब उनके निधन पर शोकाकुल हैं। आपके द्वारा इच्छित समवेदना के संदेश को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का दुखद कर्त्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर शोक प्रकट करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों का वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1975†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1975, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) अध्यादेश, 1975†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) अध्यादेश, 1975, को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975†

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1975†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975†

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975, को सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अध्यादेश, 1975†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अध्यादेश, 1975, को सदन के पटल पर रखता हूं।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1975†

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, 1975†

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, 1975, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ की वर्ष 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट‡ तथा उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड की वर्ष 1973-74 की वार्षिक रिपोर्ट‡

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से (1) उत्तरप्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लिमिटेड, लखनऊ की वर्ष 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट सहित, तथा (2) उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड की वर्ष 1973-74 की वार्षिक रिपोर्ट को सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट-सहित, को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ढ, उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

‡छापी नहीं गयी ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट 1972-73‡

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट 1972-73 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर नियमावली, 1973‡

राजस्व मंत्री (श्री स्वाभी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 7/रा0-1/2-1 (1)-72, दिनांक 25 सितम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972, की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1947 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

मा0 अध्यक्ष आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 21 पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

मा0 अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 जून, 1974 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 अगस्त, 1974 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1974 का उत्तर प्रदेश का 34 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

मा0 अध्यक्ष आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1974, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1974 के उपवेशन में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 1974 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 5 दिसम्बर, 1974 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1974 का उत्तर प्रदेश का 35 वां अधिनियम बन गया।

---

‡छापी नहीं गयी।

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

मा0 अध्यक्ष आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि विद्युत् विधि उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 1974 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 1974 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1974 का 36वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

मा0 अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अगस्त, 1974 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति 15 जनवरी, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 3 जनवरी, 1975 को इस सदन ने विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियमों को स्थगित करते हुए यह निश्चय किया गया था कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदन के आगामी सत्र के प्रथम कार्य के रूप कराया जाय और उसके लिये नये सिरे से नामांकन पत्र आमंत्रित किये जायं। तदनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक 20 फरवरी, 1975 को प्रश्नोत्तर काल के उपरान्त होगा। उक्त पद के लिये विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार प्रस्तावित तथा समर्थित नाम निर्देशन पत्र 19 फरवरी, 1975 के मध्यान्ह से पहले सचिव, विधान सभा को प्राप्त हो जाने चाहिये।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974, सदन के 27 दिसम्बर, 1974 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और चूंकि प्रवर समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर

समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय ;

और चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रवर समिति को विधेयक में ऐसे संशोधन करने पड़ सकते हैं जो विधेयक की परिधि के बाहर हों ;

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार रहे और उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सदन के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाता है।"

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। यह आपके अनुभव में भी आया होगा कि वर्तमान मंत्रिमंडल के समय में यह एक आधुनिकवाद रवैया अख्तियार किया गया कि निकट भविष्य में लेजिस्लेचर की बैठक होने वाली हो फिर भी अध्यादेशों के सहारे प्रशासन किया जाय, यह उचित नहीं था।

मान्यवर, यह मैंने पहला ही जुमला बोला है। दूसरी बात यह है कि कई मर्तबे स्वायत्त शासन मन्त्री समय-समय पर यह घोषणा कर चुके थे कि म्युनिसिपल बोर्ड और कारपोरेशन्स के इलेक्शन समय पर हो जायेंगे जो कि आप बार-बार टालने आये हैं किन्तु बाद में आपको सी0 आई0 डी0 से पता चला कि आपको इसमें जीतने की कोई आशा नहीं है, वातावरण खिलाफ है, हर जगह आपकी हार हो रही है, आर्थिक नीति फेल हो चुकी है, कोई लॉ ऐन्ड आर्डर नहीं है, चारों तरफ उपद्रव का वातावरण है, इसलिये इसको आप टाल रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि प्रवर समिति सदन की राय से हुई थी लेकिन अन्त में जो यह जुमला लिख दिया कि इसका समय वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाता है, यह उपयुक्त नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें अवश्य कुछ रहस्य है। इससे आप प्रजातन्त्र का गला घोंट रहे हैं। जनता को अश्वासन देकर आप उसे झठला रहे हैं। दरअसल संयुक्त प्रवर समिति अगर काम करना चाहती है, तो समय की कोई बात नहीं है एक हफ्ते के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे सकती है, 15 दिन में दे सकती है, बशर्ते कि मुख्य मन्त्री चाहें, लेकिन वे नहीं चाहते हैं क्योंकि यह बात अखबारों में निकल चुकी है और सूचना इनको मिल चुकी है कि उन्हें सफलता मिलने की आशा नहीं है। इसके पीछे इल-मोटिव है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और समझता हूं कि मेरी इस राय से विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय माधव प्रसाद जी ने जो अपनी बात सदन के सम्मुख रखी, उससे हम सभी लोग सहमत हैं। हम लोग ही नहीं अपितु कांग्रेस के सदस्य भी इस बात से सहमत हैं। कांग्रेस के कई सदस्यों ने कहा है कि चुनाव बार-बार टालते जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

रहे हैं। केवल कुछ विशिष्ट लोगों का मन ही इस प्रकार का है। इसलिये हम माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहेंगे कि जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर वे पुनर्विचार करें, इसे वापस लेकर इसी सत्र में 15 दिन के अन्दर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

नियम के हिसाब से आज तारीख समाप्त हो गई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

दस रोज तक के लिये समय बढ़ाया जा सकता है लेकिन ऐसा लिखने का क्या अर्थ है कि वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाय। वर्षाकालीन सत्र अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर में आयेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वातावरण अनुकूल नहीं है। जब वातावरण आपके अनुकल होगा तभी आप करायेंगे ..

श्री अध्यक्ष--

आपका आग्रह रहेगा तो पहले भी हो सकता है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, पिछले सदन में मैंने एक प्रश्न रखा था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि जितनी भी भंग नगरपालिकायें हैं उनका हम चुनाव करायेंगे। मेरठ की नगरपालिका जब 1970 में भंग की गई तो उस समय उसमें 3 लाख की हानि थी और आज वहां 40 लाख रुपये का डेफिसिट है। करों का वहां पर यह हाल है कि प्रोजेक्शन और हाउस टैक्स वहां पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। दोनों तरफ से जनता का गला घोंटा जा रहा है। आपने कहा कि इससे पूर्व चुनाव करा देंगे। प्रवर समिति में तो यह प्रश्न विचारणीय था कि नगरपालिकाओं के प्रधानों का चुनाव सीधे-सीधे करा दिया जायेगा जैसे पहले था उसी तरह से इन्डाइरेक्ट कराया जाय। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था 8-8 और 10-10 साल हो गये, अभी भी जनता के हाथ में उसे नहीं दिया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष--

मैं 15 मिनट का समय और बढ़ाता हूं।

श्री मोहनलाल कपूर--

नगरपालिकायें ऐसी स्थिति में हैं कि तुरन्त चुनाव कराकर उन्हें तुरन्त जनता के सुपुर्द करना चाहिए। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव रखा है और श्री दिघेजी ने जिसका समर्थन किया है उसके अनुसार 15 दिनों में प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट देकर तुरन्त चुनाव कराये जाने चाहिए।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मेरा तो, एक ही निवेदन है माननीय माधव बाबू जी से ज्यादा अच्छी सूचना देने वाला दूसरा हमारे लिए कोई नहीं है। हमें सी0 आई0 डी0 की जरूरत भी नहीं है जब वह मौजूद हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब मेरा तो उनसे निवेदन यह है कि जब हम हारने वाले हैं तथा आगे और ज्यादा हारेंगे तो उनको डर काहे का। उनको हमारे और ज्यादा हारने के समय का इन्तजार करना चाहिये। हम

सचमुच कठिनाई में हैं और हम इस प्रयास में हैं कि एक बार कठिनाई दूर हो तो ऐसे आधार पर आधारशिला बने जिससे वह कुछ दिन चल सके। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वह सरकार की नियत पर इस तरह शक न करें। उनके अविश्वास की सीमा बढ़ती जा रही है मुझे भय है कि कहीं वह स्वयं में भी अविश्वास न करने लगें। मैं आशा करता हूं कि वह मेरी बात स्वीकार करेंगे और इसको मंजूर करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कारपोरेशन भी इनके आदमी ऐडमिनिस्ट्रेशन में हैं, महत्वपूर्ण प्रभावशाली पदों पर हैं और चूंकि मई में पार्लियामेन्ट का एलेक्शन हो जायगा, इसलिये यह सरकार उसमें उनका इस्तेमाल करेगी जितना भी इल-मोटिव हो सकता है उतना वह है, इस से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेरा यह निवेदन है कि आप एलेक्शन करा लें, इसमें आपकी भलाई है। यदि शब्द का प्रयोग गलत न समझें तो इतनी वचन-भंगी सरकार हमने कभी देखी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974, सदन के 27 दिसम्बर, 1974 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और चूंकि प्रवर समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तक बढ़ा दिया तिथि जाय;

और चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रवर समिति को विधेयक में ऐसे संशोधन करने पड़ सकते हैं जो विधेयक की परिधि के बाहर हों;

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार रहे और उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सदन के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाता है।"

(प्रश्न उपथित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

आपको धन्यवाद के साथ अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
18 फरवरी, 1975।

नत्थी "क"

(देखिये पीछे पृष्ठ 6 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को उनके 18 फरवरी, 1975 से प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा0 मर्रि चेन्ना रेड्डी का अभिभाषण।

माननीय सदस्यगण,

राज्यपाल का पद सम्भालने के बाद पहली बार भारत के इस सबसे बड़े प्रदेश के माननीय विधायकों को सम्बोधित करने का मुझको जो यह मौका मिल रहा है, उसके लिये मुझे बहुत हर्ष है।

जैसा आपको मालूम ही है, सरकार बिजली तथा सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दे रही है। खेती व उद्योग दोनों ही क्षेत्रों के लिए इनका विकास बहुत महत्व रखता है, और इस पर राज्य की तरक्की मुख्यत: निर्भर है। राज्य में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिए, काफी मात्रा में भूमि के ऊपर व नीचे भी पानी मिल सकता है। इसी दृष्टि से चालू वित्तीय वर्ष में सिंचाई प्रोग्रामों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गन्डक, शारदा सहायक और रामगंगा जैसे बड़े प्रोजेक्टों से इस वर्ष 3.76 लाख हैक्टेयर्स अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता पैदा हो सकेगी। निजी व राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की जा रही है। सरकारी सिंचाई के अन्तर्गत पिछले मार्च तक केवल 65 लाख हैक्टेयर्स रकबा था जो बढ़कर अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 73 लाख हैक्टेयर्स हो जाएगा।

चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में राज्य में करीब 700 मेगावाट बिजली की कमी आंकी गई थी। बिजली की कमी के कारण शहरी जनता तथा मजदूरों व किसानों को समय-समय पर जो कष्ट उठाना पड़ा उसे सभी ने प्रशंसनीय धैर्य के साथ सहन किया। यथासम्भव नगरों में बिजली की कटौती कर के खेती के लिए अधिक से अधिक बिजली पहुंचाई गई। केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्यों ने अपने बिजली के उत्पादन में से भी हमें बिजली उपलब्ध कराई उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। केन्द्रीय सरकार के पूरे सहयोग से राज्य सरकार बिजली की कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यह आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष में छिबरो की दो यूनिटों, यमुना हाइडिल की एक यूनिट तथा ओबरा थर्मल की एक यूनिट में उत्पादन शुरू हो जायगा। इनके जरिये उत्पादन क्षमता में कुल 230 मेगावाट की बढ़ोत्तरी हो जायगी। कोशिश यह की जा रही है कि रामगंगा, यमुना हाइडिल, ओबरा, हरदुआगंज और पनकी में 537 मेगावाट की क्षमता अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ सके। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक बिजली की वर्तमान कठिनाई में काफी हद तक कमी हो जायेगी।

सरकार की बराबर यह कोशिश रही है कि आवश्यक वस्तुयें आम तौर से सभी वर्गों को तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को उचित दामों पर मिल सकें।

सरकार ने इन वस्तुओं के उचित वितरण के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं। तस्करी के विरुद्ध भी सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्यवाहियां की हैं। फलस्वरूप काफी मात्रा में गल्ला तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें पकड़ी गयीं। इसका अच्छा असर पड़ा है, और इससे कई वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी है और मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा उन्हें नीचे लाने में सहायता मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार गेहूं की वसूली की नई योजना भी लागू कर रही है। इस योजना में उन छोटी-छोटी जोतों को, जिनकी संख्या 70 फीसदी से भी अधिक है, 'लेवी' से मुक्त किया जा रहा है। यह हर्ष की बात है कि इस साल प्रकृति की अब तक कृषि पर कृपा रही है। साथ ही, इस वर्ष सिंचाई के अधीन क्षेत्र का भी नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इस प्रकार रबी की फसल का लक्ष्य, जो इस वर्ष 134 लाख टन रखा गया है, उसके पूरा होने की आशा है।

राज्य में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति आमतौर से संतोषजनक रही, हालांकि कुछ हिंसा की वारदातें तथा हड़तालें व छुट-पुट आन्दोलन स्थानीय मसलों को लेकर हुए हैं। सरकार जनता की वास्तविक कठिनाइयों तथा शिकायतों को तुरन्त दूर करने के लिये प्रयत्नशील है, और मैं आशा करता हूं कि इसमें सभी वर्ग सरकार को सहयोग देंगे। सब धर्मों के लोगों में आपसी मेल-मिलाप, इस प्रदेश की परम्परा रही है, और मेरा विश्वास है कि यह शान्तिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस ने डाकुओं से निपटने में तथा गैरकानूनी शस्त्रों के कारखानों को पकड़ने में काफी कामयाबी हासिल की है।

सरकार ने पिछले वर्ष हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए कांस्टेबिलों तथा हेड कांस्टेबिलों के पदों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भर्ती में बढ़ोत्तरी कराई थी। इन वर्गों के लिए उच्च पदों में भी प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कालेजों के लिए भर्ती की परीक्षा में आरक्षण का प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिये क्रमश: 10 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार ने जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि वह स्वयं तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी हरिजनों की बस्तियों में खुद जाकर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनको सुलझाने की पूरी कोशिश करें। हरिजनों की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए जो विशेष पुलिस सेल स्थापित किया गया था उसका काम काफी संतोषजनक रहा। सरकार ने यह निदेश जारी किये हैं कि यदि जिला प्रशासन अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने में असफल होगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी।

पिछली गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर सरकार ने भूमिहीन हरिजन कृषकों को निजी साहूकरों के कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाया था। उस कानून का लाभ अब सभी जातियों तथा वर्गों के भूमिहीन एवं एक एकड़ तक भूमि वाले कृषकों को देने के लिए एक विधेयक आपके सामने पहले से ही पेश किया जा चुका है। सरकार ने अब यह भी निश्चय किया है कि सहकारी समितियों द्वारा बांटे जाने वाले ऋण का एक भाग इन वर्गों के लिए सुरक्षित रहे। साथ ही इस कानून के उल्लघंन में

जो कोई दावे इस वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध किये जायं उनमें ऐसे व्यक्तियों को सरकार की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता दी जायेगी।

सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। अप्रैल से दिसम्बर, 1974 तक सतर्कता अधिष्ठान को 378 जांचें सुपुर्द की गयीं। राज्य सरकार ने काला बाजारी, मुनाफाखोरी, जखीरेबाजी, तस्करी तथा करों की चोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाये। उनमें काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, और बहुत-सा माल तथा कागजात पकड़े गये। सरकार स्वच्छ और कुशल प्रशासन देने के लिये कृत संकल्प है। इस सिलसिले में यह भी फैसला किया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों तथा सरकारी तन्त्र में अन्याय एवं शिकायतों की जांच के लिए एक लोक-आयुक्त नियुक्त किया जाय। इस प्रयोजन से एक विधेयक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयक के अनुरूप होगा, आपके विचार के लिए शीघ्र पेश किया जायेगा।

नगरों की सफाई तथा उनको सुन्दर बनाने के लिये सरकार बहुत उत्सुक है। इसके लिए मैं आम तौर से सभी नागरिकों से तथा विशेष रूप से गैर-सरकारी संस्थाओं तथा समाज सेवकों से अपील करूंगा कि वह इस विषय में सरकार का पूरा साथ दें।

शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। विद्यार्थियों के उत्साह को उपयोगी तथा रचनात्मक कार्यों में मोड़ने तथा उनमें अपने हाथों से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ऐसी योजना बना रही है जिससे विद्यार्थियों को बुआई, कटाई, नगरों की सफाई, वृक्षारोपण इत्यादि में लगाया जा सके। विश्वविद्यालयों में भर्ती के वर्तमान दबाव को कम करने के उद्देश्य से पत्र-व्यवहार कोर्स खोलने तथा प्राइवेट परीक्षा की सुविधायें बढ़ाने के अतिरिक्त, इन्टरमीडिएट स्तर पर वोकेशनल कोर्स चलाने का विचार है जिनसे विद्यार्थी काम पर लग सकें। प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं के घनत्व का एक मानचित्र तैयार किया जा रहा है। उसको दृष्टि में रख कर ही नई शिक्षा संस्थायें खोलने के प्रस्तावों पर निर्णय लिये जायेंगे। शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के स्थान पर शिक्षा का स्तर ऊंचा करने पर अधिक बल दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतन-मानों को सबसे पहिले स्वीकृत करने का गौरव हमारी सरकार को ही प्राप्त है। आगामी अप्रैल से डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान भी सीधे किया जायेगा।

प्रदेश के आर्थिक विकास में इन्जीनियरिंग कालेजों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में एक तकनीकी बोर्ड गठित किया जा रहा है। इसके द्वारा राज्य में प्राविधिक शिक्षा' कृषि व उद्योग के विकास में विशेष सहायता मिल सकेगी। भूमि की किस्मों की जांच तथा क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी समस्याओं को इंगित करने तथा उनका निदान ढूंढ़ने के कार्य में भी स्थानीय वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं कृषि शिक्षा संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष जिला परिषदों के निर्वाचन सम्पन्न हो गये। इस प्रकार फिर से जनता के प्रतिनिधियों को जिला परिषदों की बागडोर सौंप दी गई।

जिला परिषदों, नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं के अध्यक्षों को स्थानीय बेसिक शिक्षा समितियों से सम्बद्ध करने की योजना बनाई जा रही है। इस हेतु एक संशोधन विधेयक आपके सामने पेश किया जायेगा।

भूमिहीन कृषकों में भूमि के वितरण के कार्य में गति लाने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। मंगलदेव विशारद समिति की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में पायी गयी कानूनी तथा प्रशासनिक कमियों का निराकरण भी किया गया है व किया जा रहा है। प्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता व कुशल प्रशासक श्री आर0 के0 पाटिल की सेवायें भी इस कार्य के लिए प्राप्त की जा रही हैं।

उद्योग के क्षेत्र में सूत, चीनी व सीमेन्ट की उत्पादन क्षमता बराबर बढ़ाई जा रही है। बुनकरों की समितियों को मजबूत बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। कालीन इकाइयों को कच्चा माल दिलाने हेतु भदोही में एक ऊनी कताई मिल की स्थापना के लिए लाइसेन्स प्राप्त हुआ है।

सीमान्त क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ाने के लिए विशेष कोशिशें की जा रही हैं। इस काम में सरकारी निगमों को आगे लाया जा रहा है। अलकनन्दा और कोसी नदियों के उद्गम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिये विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष औद्योगिक शान्ति प्रशंसनीय रूप से बनी रही। यह पहला अवसर है कि सभी प्रमुख उद्योगों के मजदूरों तथा मालिकों ने अपनी आपस की समस्याओं को त्रिस्तरीय सम्मेलन की बैठकों में ही सुलझा लिया। सरकार की कोशिशों से मजदूरों और मालिकों के सम्बन्ध अच्छे बने रहे। लाक आउटों तथा हड़तालों की संख्या कम रही और उत्पादन में हानि, अपेक्षाकृत कम हुई।

शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्रों में टेलीविजन की असीम सम्भावनायें हैं। उन्हें देखते हुये राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है और आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक लखनऊ में एक अस्थाई टेलीविजन केन्द्र स्थापित हो सकेगा।

सरकार वनों तथा पेड़ों की रक्षा के लिये प्रभावी कदम उठा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये उन्नाव जिले के नवाबगंज में एक 'पक्षी विहार' तथा ओखला में एक 'टूरिस्ट काम्प्लेक्स' बनाया जायेगा।

राज्य कर्मचारियों ने सरकार की अल्प-बचत योजना को सफल बनाने में जो हार्दिक सहयोग दिया उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

इस सत्र में मुख्य रूप से आपको वित्तीय कार्य करना होगा। इसके अलावा आपसे यह अपेक्षा की जायेगी कि इस बीच जारी किये गये अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित करें। लोक आयुक्त की नियुक्ति तथा शिक्षा सम्बन्धी कानून में संशोधन के

प्रस्तावों का जिक्र मैं पहिले ही आपसे कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक ट्रस्टों तथा हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध को सुधारने के प्रस्ताव भी आपके सामने आयेंगे। भूमि विधियों में भी कुछ संशोधन आपके सामने पेश किये जायेंगे। साहूकारी की बाबत एक संशोधित विधेयक आपके सामने लाया जायेगा। रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट में भी कुछ संशोधन अपेक्षित हैं जो आपके सामने आयेंगे। यू0 पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट में विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। समाचार-पत्रों तथा सार्वजनिक स्थानों में शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये भी एक विधेयक पेश किया जायेगा।

मैंने आपके सामने सरकार के प्रोग्रामों और नीतियों को संक्षेप में बयान किया है। आने वाला समय हम सभी के लिये चुनौती का समय है। जनतन्त्र में विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा ही राज्य आगे बढ़ता है। माननीय सदस्यगण, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके वाद-विवाद रचनात्मक और लाभदायक होंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होंगे।

जय हिन्द।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 11 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 159 के अन्तर्गत किया गया शाब्दिक संशोधन :—

खंड 4 के उपखंड (क) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 के खंड (2) में प्रस्तावित शब्द "सिंचित" के स्थान पर शब्द "असिंचित" कर दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 92 वि0 सभा (506)—1975—845 ।